न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट
जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्री गोविन्दसिंह आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 05 / 2025
किस्म :– वाद
दायर दिनांक : 09.01.2025 **निर्णय दिनांक** : 10.05.2025

उनवान

खुबीराम पुत्र हीरालाल जाति सुथार निवासी आमेट तहसील आमेट जिला राजसमंद

–:बनाम:–

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आमेट जिला राजसमंद, राजस्थान

दावा :– वाद अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. 1955
वादी की ओर से :– **अधिवक्ता सत्यनारायण व्यास**
प्रतिवादी की ओर से :– **एकपक्षीय**

वादी अधिवक्ता द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम आमेट पटवार हल्का आमेट तहसील आमेट जिला राजसमंद मे वादी के स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी की कृषि भूमियां जिसके खाता संख्या नया 188 पुराना 189 के आराजी नम्बर 2526 कुल किता 01 रकबा 0.4000 हैक्टेयर उक्त वर्णित आराजीयात वादी के खातेदारी मे दर्ज होकर वादी ही काबिज होकर उपयोग उपभोग कर खा–कमा रहा है, जिस पर किसी अन्य का कोई हक, अधिकार, तालूक नही है। उक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड मे वादी का नाम खुबीराम पुत्र हीरालाल जाति सलावट अंकित हो गई है, जब कि सलावट वादी की गोत्र है एवं वादी की जाति सुथार है। वादी के आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना मे शामिल करने का आदेश, पेंशनर वार्षिक सत्यापन स्लिप, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि सभी दस्तावेज मे वादी की जाति सुथार ही अंकित है, परन्तु राजस्व जमाबन्दी मे वादी की जाति सलावट अंकित हो गई है, जब कि सलावट वादी की गोत्र है एवं जाति सुथार है, इसलिए वादी राजस्व जमाबन्दी मे भी अपनी जाति सलावट के स्थान पर सुथार अंकित कराना चाहता है। राजस्व जमाबन्दी मे वादी की जाति सुथार के स्थान पर सलावट अंकित होने से वादी को काफी परेशानीयो का सामना करना पड रहा है, सरकार द्वारा प्राप्त होने वाले लाभ–परिलाभ प्राप्त करने मे भी वादी को परेशानी हो रही है, इसलिए राजस्व जमाबन्दी मे वादी अपनी जाति सलावट के स्थान पर सुथार अंकित कराना चाहता है, इसलिए इस आशय की घोषणा की डिकी पारित फरमाई जावे कि उक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व जमाबन्दी मे वादी की जाति सलावट अंकित हो गई है, जब कि वादी

न्यायालय सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी आमेट

की जाति सुथार है, इसलिए राजस्व जमाबन्दी मे वादी की जाति सलावट विलोपित कर सुथार अंकित किया जाकर राजस्व रेकार्ड इन्द्राज दुरस्त किया जाना आवश्यक है। राजस्व रेकार्ड मे वादी की जाति के सम्बन्ध मे आज से 15 दिन पूर्व त्रुटी की वादी को जानकारी होने पर वादी ने तहसीलदार साहब आमेट के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादी की जाति सलावट के स्थान पर सुथार अंकित करने का निवेदन किया परन्तु राजस्व रेकार्ड मे वादी की जाति मे सुधार नही किया गया, जिससे वाद हेतुक उत्पन्न होकर लगातार जारी है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय की घोषणा की डिकी पारित फरमाई जावे कि उक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मे वादी की जाति सलावट के स्थान पर सुथार किया जाकर तद्नुसार राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरस्ती करते हुए जमाबन्दी मे भी वादी की जाति सुथार अंकित किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी बाद तामील न्यायालय मे अनुपस्थित रहे जिससे प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। पत्रावली मे जवाब प्रस्तुत नही होने से तनकीयात कायम नही की गयी। वादी मे साक्ष्य मे शपथ पत्र पेश किया।

दौरान कार्यवाही पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि उक्त वर्णित आराजीयात वादी के खातेदारी मे दर्ज होकर वादी ही काबिज होकर उपयोग उपभोग कर खा–कमा रहा है, जिस पर किसी अन्य का कोई हक, अधिकार, तालूक नही है। उक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड मे वादी का नाम खुबीराम पुत्र हीरालाल जाति सलावट अंकित हो गई है, जब कि सलावट वादी की गोत्र है एवं वादी की जाति सुथार है। वादी के आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना मे शामिल करने का आदेश, पेंशनर वार्षिक सत्यापन स्लिप, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि सभी दस्तावेज मे वादी की जाति सुथार ही अंकित है इसलिए वादी राजस्व जमाबन्दी मे भी अपनी जाति सलावट के स्थान पर सुथार अंकित कराना चाहता है। अतः वादी का वाद स्वीकार फरमाया जावें।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने से जाहिर है कि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज मे वादी खुबीराम पुत्र हीरालाल की जाति सुथार अंकित है जिससे वादी खुबीराम पिता हीरालाल जाति सलावट के स्थान पर खुबीराम पिता हीरालाल जाति सुथार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

:: आदेश ::

उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का दस्तावेज के आधार पर साबित पाया जाने से स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम आमेट पटवार हल्का आमेट तहसील आमेट जिला राजसमंद मे वादी के स्वामित्व,

न्यायालय सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी आमेट

आधिपत्य एवं खातेदारी की कृषि भूमियां जिसके खाता संख्या नया 188 पुराना 189 के आराजी नम्बर 2526 कुल किता 01 रकबा 0.4000 हैक्टेयर मे वादी की जाति सलावट को विलोपित करते हुए के स्थान पर जाति सुथार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तुर रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

नोटः– तहसील आमेट/सरदारगढ मे सर्वे–रिसर्वे के दौरान यदि आराजी नम्बर बदल गये हो तो नवीन आराजी नम्बर का नक्शा ट्रेस एवं मिलान खसरा से मिलान करते हुये निर्णय की पालना की जावें। नवीन आराजी नम्बर मे यदि रकबा कम ज्यादा हुआ हो तो निर्णय मुताबिक पालना की जावें। नवीन राजस्व अभिलेख की प्रतियां पालना रिपोर्ट के साथ पुनः इस न्यायालय मे प्रस्तुत करावें।

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

निर्णय आज दिनांक 10.05.2025 को खुले न्यायालय मे आदेश सुनाया गया।

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

मूल वाद में अंतिम डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी) आमेट
जिला–राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्री गोविन्दसिंह आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 05 / 2025
किस्म :– वाद
दायर दिनांक : 09.01.2025 **निर्णय दिनांक** : 10.05.2025

उनवान

खुबीराम पुत्र हीरालाल जाति सुथार निवासी आमेट तहसील आमेट जिला राजसमंद

–:बनाम:–

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आमेट जिला राजसमंद, राजस्थान

दावा :– वाद अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. 1955
वादी की ओर से :– **अधिवक्ता सत्यनारायण व्यास**
प्रतिवादी की ओर से :– **एकपक्षीय**

मे इस आशय में दिनांक 10.05.2025 **की न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि** वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का दस्तावेज के आधार पर साबित पाया जाने से स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम आमेट पटवार हल्का आमेट तहसील आमेट जिला राजसमंद मे वादी के स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी की कृषि भूमियां जिसके खाता संख्या नया 188 पुराना 189 के आराजी नम्बर 2526 कुल किता 01 रकबा 0.4000 हैक्टेयर मे वादी की जाति सलावट को विलोपित करते हुए के स्थान पर जाति सुथार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तुर रहे।

आज दिनांक को 10.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की गोल मोहर लगाकर जारी की गई।

नोटः– तहसील आमेट / सरदारगढ मे सर्वे–रिसर्वे के दौरान यदि आराजी नम्बर बदल गये हो तो नवीन आराजी नम्बर का नक्शा ट्रेस एवं मिलान खसरा से मिलान करते हुये निर्णय की पालना की जावें। नवीन आराजी नम्बर मे यदि रकबा कम ज्यादा हुआ हो तो निर्णय मुताबिक पालना की जावें। नवीन राजस्व अभिलेख की प्रतियां पालना रिपोर्ट के साथ पुनः इस न्यायालय मे प्रस्तुत करावें।

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)